ए.

करनैल सिंह

वी.

पंजाब राज्य और ए. एन. आर.

सितंबर 6,1994

बी.

[ के. रामास्वामी और एन. वेंकटचाला, जे. जे.]

सेवा कानून प्रमुख कांस्टेबल पदोन्नति रूपांतरण कनिष्ठों की वैधता को बढ़ावा देना।

अपीलार्थी-प्रमुख सिपाहियों ने मध्यवर्ती पाठ्यक्रम पूरा किया

सी.

प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें 'जी' सूची में रखा गया और उप-निरीक्षकों के रूप में पदोन्नत किया गया। 1984 में उन्हें उच्च विद्यालय पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के लिए चुना गया था। हालांकि, प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, उन्हें 'ई' सूची में शामिल नहीं किया गया और पदोन्नत होने के बजाय उन्हें हेड कांस्टेबल के रूप में वापस कर दिया गया, जबकि उनके जूनियर को तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया। उन्होंने उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं

डी.

जिन्हें खारिज कर दिया गया। इस न्यायालय में अपील में, राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया था कि अपीलकर्ताओं को खराब सेवा रिकॉर्ड के कारण पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था और

प्रतिकूल गोपनीय रिपोर्ट।

ई.

अपीलों को अनुमति देते हुए, यह न्यायालय

पकड़नाः 1. जब अपीलार्थी उसी स्थान पर खड़े रहे हों

दो अन्य हेड कांस्टेबलों के रूप में पद और उनसे वरिष्ठ थे, जरूरी है कि उन्हें भी वही व्यवहार मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यहां तक कि यह मानते हुए कि उनकी प्रतिकूल टिप्पणियां थीं, मान लीजिए कि कोई जांच नहीं की गई थी, जांच करने और अपीलार्थियों को अवसर देने के बाद कोई निष्कर्ष नहीं दिए गए थे। इसलिए, हेड-कॉन्स्टेबल के रूप में उनका रूपांतरण स्पष्ट रूप से अवैध है। यद्यपि बाद में उन्हें पदोन्नत किया गया है, उन्हें सभी जी परिणामी लाभों के साथ कनिष्ठ के बराबर पदोन्नत किया गया माना जाना चाहिए। [ 197 - जी-एच; 198-ए]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 297-98

1987 से। सी. डब्ल्यू. पी. सं. में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से। 2719 & 2676 1986 से।

196 197

करनैल सिंह बनाम। राज्य

एस. के. बग्गा, सीराज बग्गा और तनुज बग्गा एडवस। अपीलार्थी ए. जी. के. बंसल के लिए और उत्तरदाताओं के लिए <आई. डी. 1.

पंजाब उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आदेश से और हरियाणा ने 13 अगस्त, 1986 की सिविल रिट याचिका संख्या 2636/86 और निर्णय की सिविल रिट याचिका संख्या 2719/86 में कहा है। मान लीजिए कि अपीलार्थी हेड-कॉन्स्टेबल के रूप में महत्वपूर्ण पदों पर थे। उन्हें वर्ष 1976 में प्रशिक्षण के मध्यवर्ती पाठ्यक्रम से गुजरने के लिए भेजा गया और उन्हें 'जी' सूची में डाल दिया गया और उन्हें 1 मई, 1981 को अस्थायी रूप से कार्यवाहक उप-निरीक्षकों के रूप में पदोन्नत किया गया। इसके बाद 1 अप्रैल, 1994 को उन्हें पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, जिला फिल्लौ में उच्च विद्यालय पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के लिए चुना गया। जालुंडुर। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें निरीक्षक के रूप में पदोन्नत करने के बजाय इस बीच उन्हें डी हेड-कांस्टेबल के रूप में वापस कर दिया गया। उन्होंने रिट याचिकाएं दायर कीं जैसा कि पहले कहा गया था और उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।

सी.

यह रिट याचिकाओं के पृष्ठ पर कार्यवाही अनुलग्नक-पी से देखा जाता है। !

ई.

पेपर बुक के पृष्ठ 32 पर कार्यवाही अनुलग्नक-पी से यह देखा जाता है कि अपीलार्थियों को निरीक्षक के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया था। हालाँकि अपीलकर्ताओं ने अगस्त, 1984 में समाप्त होने वाले उच्च विद्यालय पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है, लेकिन उनके खराब सेवा रिकॉर्ड के कारण उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है और ई सूची में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि मोटा सिंह और करनैल सिंह को उस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, उसी क्रम के पैराग्राफ 4 में उन्हें 4 अक्टूबर, 1984 से तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया है। स्वीकार करते हैं कि आदेश में उल्लिखित वरिष्ठता में मोटा सिंह, हेड कांस्टेबल No.80/119 और करनैल सिंह हेड कांस्टेबल <ID2 अपीलार्थियों से कनिष्ठ हैं। जब अपीलकर्ता मोटा सिंह और करनैल सिंह और उनके वरिष्ठों के समान पद पर खड़े हैं तो अनिवार्य रूप से उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से यह पूरा हो गयाः राज्य की ओर से यह तर्क दिया जाना चाहिए कि खराब रिकॉर्ड और प्रतिकूल गोपनीय रिपोर्ट के कारण उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई है। यह मानते हुए भी कि उन्होंने प्रतिकूल टिप्पणी की थी, स्वीकार किया कि कोई जांच नहीं की गई थी, जांच करने के बाद और एक अवसर देने के बाद कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया था-एच

जी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1994] एस. पी. पी. 3 एस सी आर।

198

अपीलार्थियों के लिए एक ट्युनिटी। इसलिए, उन्हें हेड-कॉन्स्टेबल के रूप में बदलना स्पष्ट रूप से अवैध है। हालाँकि बाद में उन्हें क्रमशः 1987-88 में पदोन्नत किया गया है, लेकिन उन्हें 8 अक्टूबर, 1984 को जूनियर डब्ल्यू. ई. एफ. के बराबर पदोन्नत किया गया माना जाना चाहिए। तदनुसार अपीलार्थी उपरोक्त घोषणा और परिणामी लाभों के हकदार हैं। अपीलों की अनुमति दी जाती है और रिट जारी की जाती है। कोई लागत नहीं।

बी.

अपील की अनुमति दी गई

टीएनए।